>

Title: Need to take action with regard to incidents of deaths of pregnant women in Ummed Hospital, Jodhpur, Rajasthan on the basis of report submitted by the Central team.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति महोदया, आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण लोक महत्व_के मुद्दे की ओर ध्यान आकर्Âि◌ात करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं राजस्थान से आता हूं, जोधपुर जिले में उम्मेद अस्पताल में 23 फरवरी को 13 प्रसूताओं की मौत हुई। इसके बाद भी मौतों का क्रम रुका नहीं है, कभी एक मौत होती है, कभी दो मौतें होती हैं और अभी तक 18 के आसपास आंकड़ा पहुंच गया है। यह सिलसिला जारी है। महिलाएं छुट्टी लेकर घर चली गई हैं। यहां_अस्पताल_में कम्पाउंड सोडियम लेक्टेट इंजेक्शन लगा था जिसका बैच नं. 002 था, यह जानकारी में आया है कि उसके कारण मौतें हो रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से एक टीम भेजी गई थी उसने जांच में पाया कि बैच नं. 002 की दवा बैन होनी चाहिए। लेकिन अभी तक यह पूर्ण रूप से बैन नहीं हुई और इंजेक्शन लगे। अस्पताल में जो वातावरण डिलीवरी के समय था वह इतना खराब और गंदा था कि उसमें इन्फेक्शन फैलने का पूरा खतरा था, ऐसा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भेजी गई जांच रिपोर्ट में कहा गया है। यह कोई छोटा मामला नहीं है। हम स्वास्थ्य की दÂि◌ट से आईएमआर, सीएमआर और एमएमआर में वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में बहुत नीचे पायदान पर आते हैं। मेरे ख्याल से हमारा नंबरआखिर के पांच देशों में है। इतनी अच्छी योजनाएं चल रही हैं इसके बाद भी प्रसूताओं की एक साथ इतनी मौतें होना और क्रम जारी रहना एक शर्मनाक घटना है। मैं कहना चाहता हूं कि वहां महिला आयोग को भी जाना चाहिए। महिला आयोग ने वहां अभी तक क्यों विजिट नहीं किया? नेशनल ह्यूमेन राइट कमीशन ने चीफ सैक्रेट्री को नोटिस भेजा है क्योंकि यह एरिया वर्तमान मुख्य मंत्री जी का है। खाली नोटिस भेजने से क्या होता है? एन.एच.आर.सी._को वहां जाना चाहिए, विजिट करना चाहिए। यह महिलाओं की मौत का मामला है। मैं एक मिनट का समय और चाहता हूं। वहां नेशनल ह्यूमेन राइट कमीशन को विजिट करना चाहिए। यह घटना 23 फरवरी की है और लगातार मौतों का सिलसिला जारी है। घटना_को_दबाने_का_प्रयास_किया_जा_रहा_है_।_यह दबना नहीं चाहिए। यह पता लगना चाहिए कि दवा बनाने वाला कौन है, सब दोÂि◌ायों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ जिन महिलाओं की मौत हुई है, उन्हें दस-दस लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिए। ~~vÃ‰xÂªÃ‰Â´Ã‰Ã‰n*~~